कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024 **दिनांक 27/07/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 26.07.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनाँक 20.07.2024 को हुयी छेड़खानी की घटना में वांछित अभि0 को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत जैतपुरा में दिनांक 20.07.2024 को अभियुक्त अजय उर्फ गोभी पुत्र गनेश चौधरी निवासी जैतपुरा थाना कोतवाली गाजीपुर द्वारा वादिनी की नाबालिक पुत्री का हाथ पकड़ कर अश्लील हरकत की गयी थी जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 310/2024 धारा 74 बी0एन0एस0 व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम अजय उर्फ गोभी उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त वांछित चल रहा था। जिसे आज दिनांक 26.07.2024 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा उसके घर जैतपुरा से समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता

अजय उर्फ गोभी पुत्र गनेश चौधरी निवासी जैतपुरा थाना कोतवाली गाजीपुर उम्र करीब 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 310/24 धारा 74/351(2) बी0एन0एस0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

2. थाना दुल्लहपुर पुलिस द्वारा मुoअoसo 18/24 धारा 363,366,376,भादविo *तथा* 5एल/6पाक्सो एक्ट *व* 3(2)5ए SC/ST एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं अभियान के तहत *थाना दुल्लहपुर पर पंजीकृत* मु०अ०स० 18/24 धारा 363,366,376, भादवि० व 5एल/6 पाक्सो एक्ट,3(2)5ए SC/ST एक्ट से संबंधित अभियुक्त विवेक कुमार यादव पुत्र लालबहादुर राय निवासी ग्राम रामपुर बहोरा मठ थाना गरखा जनपद छपरा (सारण) प्रांत बिहार को आज दिनांक 26/07/2024 को समय करीब 10.55 बजे उ०नि० श्री होरिल यादव मय हमराह द्वारा रेलवे स्टेशन दुल्लहपुर के पास से गिरफ्तार *किया गया। उपरोक्त अभियोग में* पीड़िता के मेडिकल *रिपोर्ट* व मा० *न्यायालय के समक्ष* दिये *गये* बयान के आधार पर धारा 376 भादवि० व 5एल/6 पाक्सो एक्ट,3(2) 5ए SC/ST *एक्ट की बढोत्तरी की गयी।* गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम *व* पता -

विवेक कुमार यादव पुत्र लालबहादुर राय निवासी ग्राम रामपुर बहोरा मठ थाना गरखा जनपद छपरा (सारण) प्रांत बिहार

***अभियुक्त का* आपराधिक इतिहास -**

1.मु०अ०स० 18/24धारा 363/366 भादवि व 5एल/6 पाक्सो एक्ट,3(2) 5ए SC/ST एक्ट थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

3. थाना करण्डा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 90/2024 धारा 115(2)/352/351(2)/316(2)/324(4)/75/64 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्त की सफल गिरफ्तारी

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना करण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 90/2024 धारा 115(2)/352/351(2)/316(2)/324(4)/75/64 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित अभियुक्त अक्षय कुमार सिंह उर्फ बन्टी पुत्र स्व0 जनार्दन सिंह निवासी ग्राम गोशन्देपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर उम्र करीब 38 वर्ष को आज दिनाँक 26.07.2024 को थाना करण्डा पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिऱफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अक्षय कुमार सिंह उर्फ बन्टी पुत्र स्व0 जनार्दन सिंह निवासी ग्राम गोशन्देपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 90/2024 धारा 115(2)/352/351(2)/316(2)/324(4)/75/64 बी0एन0एस0 थाना करण्डा जनपद गाजीपुर।

04. थाना कासिमाबाद पुलिस टीम द्वारा नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कासिमाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 176/2024 धारा 65(1),351(3),333 BNS व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त जयकेश पाण्डेय उर्फ पीयूष पाण्डेय पुत्र रामभवन पाण्डेय निवासी ग्राम सिधउत थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर को आज दिनांक 26.07.2024 को समय करीब 10.40 बजे टोडार मोड थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया।

ज्ञातव्य है कि थाना कासिमाबाद पर दिनाँक 22.07.2024 को वादी द्वारा लिखित तहरीर दी गयी थी कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा उसकी नालाबिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना कासिमाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। आज दिनाँक 26.07.2024 को थाना कासिमाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का नाम व पता-

जयकेश पाण्डेय पीयूष पाण्डेय पुत्र रामभवन पाण्डेय निवासी ग्राम सिधउत थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 30 वर्ष

अभियुक्त काआपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 176/2024 धारा 65(1),351(3),333 BNS व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर